बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

–: कार्यालय आदेश :–

प्रायः यह देखा जा रहा है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना के अधीन संवदित्मक पद पर नियोजित एवं कार्यरत कर्मियों यथा आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक द्वारा अर्जित अवकाश का मात्र आवेदन देकर बिना स्वीकृत कराये ही कर्मी अवकाश में प्रस्थान कर जाते हैं। उल्लेखनीय है कि अवकाश का अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है।

अतः सभी आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक को आदेश दिया जाता है कि अर्जित अवकाश में प्रस्थान करने के पूर्व सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति कराकर ही अवकाश में प्रस्थान करें। अपवाद स्वरूप किसी कर्मी के आकस्मिक बिमार पड़ जाने को छोड़कर।

जो कर्मी सक्षम प्राधिकार से अवकाश स्वीकृत कराये बिना अवकाश में प्रस्थान करेंगे, तो उस अवधि में उन्हें अनाधिकृत रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित मानते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई एवं मानदेय कटौती की कार्रवाई की जायेगी।

इस आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

24.8.22

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– **बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–46 / 2018, सो० 2109 दिनांक:– 24/08/2022**

प्रतिलिपि:– सभी आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

24.8.22

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– **बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–46 / 2018, सो० 2109 दिनांक:– 24/08/2022**

प्रतिलिपि :– सभी, अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / कार्यालय प्रधान / प्रमण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ।

24.8.22

विशेष कार्य पदाधिकारी

408D:\PREM Office\Order.docx